

मूल वाद में डिक्की
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्त, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

वित्तावर उर्फ अमरसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति पाण्डव निवासी इंगरवास 88 RTI-4
वनाम राजस्वाम मरुगर पीठ
दावा बाबत :- 88 RTI-4
मुकदमा नम्बर :- 82/2020

निर्णय दिनांक :- 03.11.21


वादी की ओर से वकील सुनील बेनीवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील हेरि पैरोकराण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 3.11.21 को

शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

सौदी भोजा चम 3 बीस्व जी के द्वारा म० 9/78
मु० न० 46 किला न० 18, 19, 22, 23 मु० न० 55 के
किला न० 12 गा 14, 17 गा 19, 22 गा 25 कुल 3.542
है० नदरी खाते दारी में वारी के अमरसिंह के नाम 0.506 है०
भूमि राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है में वादी के नाम अमरसिंह
पुत्र श्रीचन्द की पत्नी वीतावर पुत्र श्रीचन्द की घोषणा
की जाती है। अतः उक्त वार भूमि में वारी का मही नाम
वीतावर पुत्र श्रीचन्द दर्ज कर राजस्व रिपोर्ट दर्ज
किया जावे। यदि किसी व्यापार, किसी मंजवा में अमरसिंह
नाम में कोई देण वहाप या कोई अर्प वादी हो तो वारी न
नाम अमरसिंह ही पृथगी रहे। यदि भूमि में उपरोक्त कुल
नाम उरुवर का रिपोर्ट उरुवर किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्की आज दिनांक 03.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़